भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 797
मंगलवार, 07 फरवरी, 2023/18 माघ, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

क्षमता से अधिक संख्या में कैदियों वाले जेल

†797. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, जेल अधिभोग अनुपात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक संख्या में कैदियों को समायोजित करने के लिए और अधिक जेलों का निर्माण कर क्षमता बढ़ाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) जेल में कुल कैदियों में से विचाराधीन कैदियों का प्रतिशत कितना है;

(घ) जेल में कुल कैदियों में से वंचित समुदायों के कैदियों का प्रतिशत कितना है; और

(ड़) सीमांत समुदायों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन **"**प्रिजन स्टेटिसिटक्स इंडिया**"** में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। 31 दिसम्बर 2019**,** 2020 और 2021 की स्थिति के अनुसार**,** देश की जेलों की अधिभोग दर क्रमश: 120.1%, 118.0% और 130.2% थी।

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत 'कारागार'/'कैदी' राज्य का विषय है। इसलिए, कारागारों और कैदियों के प्रशासन एवं प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है, जो जरूरत और अपेक्षा के अनुसार कारागारों की क्षमता बढ़ाने तथा अतिरिक्त कारागारों के निर्माण हेतु उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।

(ग): दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, कारागारों में कुल कैदियों में से विचारणाधीन कैदियों का प्रतिशत 77.1% है।

(घ): दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, देश की विभिन्न जेलों में 1,16,838 अनुसूचित जाति के कैदी थे, 59,133 अनुसूचित जनजाति के कैदी थे, 1,97,655 अन्य पिछड़ी जातियों के कैदी थे और 1,43,555 सामान्य वर्ग के कैदी थे।

*नोट - महाराष्ट्र ने विचाराधीन कैदियों और डेटानूएस (detenues) का जाती-वार ब्रेकअप प्रदान नहीं किया है।

(ङ): विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। इन विधिक सेवा क्लीनिकों का प्रबंधन, पैनल में शामिल विधिक सेवा अधिवक्ताओं और प्रशिक्षित पैरा-लीगल स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। जेलों में ऐसे क्लीनिक इसलिए स्थापित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कैदियों को उनका पक्ष

रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध हो और उन्हें कानूनी सहायता और सलाह उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालतों और कैदियों के जमानत के अधिकार सहित उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जेलों में जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई मॉडल प्रिज़न मैनुअल 2016 में "कानूनी सहायता" पर भी एक विषिष्ट अध्याय है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्यों को गरीब और बिना अधिवक्ता की सुविधा वाले कैदियों की मदद करने के लिए विभिन्न जेलों का दौरा करने के लिए जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं को नामित करने की प्रथा को अपनाना चाहिए। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विचारणाधीन समीक्षा समितियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की थी जिसे गृह मंत्रालय ने बेहतर उपयोग हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया था।

*****